

Q1 सर्वोत्तम विवेक के अनुसार कर निर्धारण क्या है?

कर निर्धारण के प्रकार (Types of Assessment) – आयकर अधिनियम के अनुसार कर निर्धारण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं-

- I. स्वयं कर निर्धारण
- II. नियमित कर निर्धारण ।
- III. सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण ।
- IV. पुनः कर निर्धारण

I. स्वयं कर निर्धारण (Self Assessment)- स्वयं कर निर्धारण का आशय है करदाता द्वारा स्वयं अपने पास उपलब्ध सूचनाओं एवं जानकारी के आधार पर अपने कर दायित्व की गणना करना । करदाता द्वारा स्वयं का कर निर्धारण करने के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 140-A में प्रावधान किये गए हैं जो निम्न प्रकार हैं

(1) अपनी आय के विवरण के आधार पर निम्नलिखित को ध्यान में रखकर करदाता का कर दायित्व बनता है

- (i) इस अधिनियम के अन्तर्गत चुकाया गया कर;
- (ii) उद्गम स्थान पर काटा गया अथवा वसूल किया गया कर;
- (iii) धारा 90 एवं धारा 91 के अन्तर्गत विदेश में भुगतान किये गए कर के सम्बन्ध में कोई राहत या कटौती;
- (iv) भारत के बाहर किसी निर्धारित क्षेत्र में धारा 90-A के अन्तर्गत भुगतान किये गए कर के सम्बन्ध में राहत;
- (v) धारा 115 JAA अथवा 115 JD के अनुसार पूरित की जाने वाली कर की जमाराशि ।

उपरोक्त सभी मदों के समायोजन के पश्चात् आय के विवरण में दर्शायी गयी आय पर देय आयकर तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत आय का विवरण दाखिल करने में देरी होने पर अथवा अग्रिम कर के भुगतान में चूक या देरी होने पर देय ब्याज की गणना करदाता द्वारा की जाती है। इस देय राशि को सरकारी कोष में जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर ली जाती है जो आय के विवरण के साथ संलग्ने कर दी जाती है। इसी प्रक्रिया को करदाता द्वारा स्वयं कर निर्धारण कहा जाता है।

(2) (i) धारा 234-A के अन्तर्गत देय ब्याज की गणना आय के विवरण में घोषित कुल आय पर गणना की गयी उस कर की राशि पर की जायेगी जिसमें से निम्नलिखित को घटा दिया जायेगा

(क) भुगतान किये गए अग्रिम कर की राशि

(ख) स्रोत पर काटा गया या वसूल किया गया कर;

(ग) विदेश में भुगतान किया गया कर जिसके सम्बन्ध में धारा 90 या धारा 91 के अन्तर्गत राहत माँगी गई थी;

(घ) भारत के बाहर किसी निर्धारित क्षेत्र में भुगतान किये गए कर की राशि जिसके सम्बन्ध में धारा 90-A के अन्तर्गत राहत माँगी गई थी, (ङ) धारा 115 JAA एवं धारा 115 JD के अन्तर्गत माँगी गई कर जमा राशि की पूर्ति ।

(ii) धारा 115 WJ एवं धारा 115 WK के अन्तर्गत देय ब्याज की गणना आय के विवरण में घोषित एवं अग्रिम कर की राशि में से कम किये गए उस कर की राशि पर होगी जो सीमान्त लाभ (Fringe benefits) पर लगाया गया है। दूसरे शब्दों में, सीमान्त लाभ पर लगाये गए कर की राशि में से अग्रिम कर की राशि घटा कर जो राशि बचती है उसी कर की राशि पर ब्याज की गणना की जायेगी।

(3) धारा 234-B के अन्तर्गत देय ब्याज की गणना निर्धारित आयकर की राशि पर अथवा, यथास्थिति, उस राशि पर जो निर्धारित आयकर में से अग्रिम आयकर घटाने पर बचती है, की जायेगी।

यदि करदाता इस धारा के अन्तर्गत देय सम्पूर्ण आयकर अथवा उसके किसी भाग को अथवा ब्याज को अथवा दोनों को चुकाने में त्रुटि करता है तो ऐसे करदाता को 'चूक में करदाता' माना जायेगा तथा उसके विरुद्ध आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

II. नियमित कर निर्धारण (Regular Assessment) – नियमित कर निर्धारण आय के विवरण के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी नियमित कर निर्धारण साक्ष्य के आधार पर भी कर सकता है। आय के विवरण के आधार पर किये गए नियमित कर निर्धारण को संक्षिप्त कर निर्धारण तथा साक्ष्यों के आधार पर किये गए नियमित कर निर्धारण को Scrutiny Assessment भी कहा जाता है। नियमित कर निर्धारण के सम्बन्ध में धारा 143 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रावधान किये गए हैं—

(1) जब किसी करदाता द्वारा अपनी आय का विवरण धारा 139 के अनुसरण में अथवा धारा 142 (1) के अधीन दिये गए नोटिस के जबाब में दाखिल किया जाता है तो आय के विवरण के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी

(i) कुल आय या हानि की गणना निम्नलिखित समायोजनों के बाद की जायेगी

(क) आय के विवरण में कोई गणितीय त्रुटि अथवा

(ख) कोई गलत दावा जो आय के विवरण में दी गई सूचनाओं से स्पष्ट होता हो।

(ii) उपरोक्त मद (i) में गणना की गई आय के आधार पर आयकर एवं ब्याज, यदि है, की गणना की जायेगी।

(iii) करदाता द्वारा देय राशि अथवा करदाता को देय वापसी की गणना मद (ii) के अन्तर्गत गणना की गई आयकर एवं ब्याज की राशि, यदि है, में से निम्नलिखित समायोजनों के बाद की जायेगी

(अ) उद्गम स्थान पर कर काटा गया आयकर;

(ब) स्रोत पर वसूल किया गया कर;

(स) चुकाया गया अग्रिम कर;

(द) धारा 90 या धारा 90-A के अन्तर्गत प्रसविदे के अन्तर्गत दोहरे करारोपण की छूट;

(य) धारा 88 - E के अन्तर्गत कोई कर की छूट;

(र) धारा 91 के अन्तर्गत राहत;

(ल) स्वयं कर निर्धारण के अन्तर्गत चुकाया गया कर;

(व) अधिनियम के अन्तर्गत चुकाया गया कोई भी कर एवं ब्याज

(iv) करदाता द्वारा देय राशि अथवा करदाता को देय वापसी के सम्बन्ध में करदाता को एक सूचना दी जायेगी।

(v) करदाता को देय वापसी की राशि का भुगतान करदाता को कर दिये जाने पर तथा आय के विवरण को स्वीकार किये जाने पर यह माना जायेगा कि करदाता पर कोई कर या ब्याज या वापसी देय नहीं है तथा उपरोक्त मद (i) के अन्तर्गत कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(2) यदि करदाता ने अपनी आय विवरणी धारा 139(1) के अन्तर्गत या धारा 142(1) के अन्तर्गत दिये गए नोटिस के जवाब में दाखिल की है तथा कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि आय के विवरण में प्रदर्शित की गयी हानि तथा माँगी गयी कर मुक्ति, कटौती, छूट या राहत अस्वीकार किये जाने योग्य है तो वह करदाता को नोटिस जारी करके इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्रस्तुत करने की माँग करेगा किन्तु दिनांक 1-6-2003 को या इसके पश्चात् ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा।

(3) यदि इस धारा के अन्तर्गत दाखिल किये गए आय के विवरण के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को इस बात की पुष्टि के लिये कि करदाता ने आय को कम तो प्रदर्शित नहीं किया है अथवा अत्यधिक हानि नहीं दर्शायी है अथवा कर की कम राशि जमा नहीं की है करदाता को नियत तिथि पर अपने समक्ष साक्ष्य सहित प्रस्तुत होने के लिये एक नोटिस जारी करेगा। किन्तु ऐसा नोटिस आय का विवरण दाखिल किये जाने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह बाद नहीं दिया जा सकेगा।

(4) उपरोक्त तिथि पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करदाता द्वारा प्रस्तुत किये गए सभी साक्ष्यों, स्पष्टीकरण एवं अन्य बिन्दुओं तथा करदाता को सुनने के पश्चात् एक लिखित आदेश पारित किया जायेगा जिसमें वह करदाता के दावे को स्वीकार कर सकता है। अथवा अस्वीकार कर सकता है तथा लिखित आदेश द्वारा ही करदाता की आय या हानि का निर्धारण करते हुए करदाता द्वारा देय वापसी की गणना करते हुए नियमित कर निर्धारण करेगा।

5) जब इस प्रकार का कर निर्धारण कर दिया जाता है तो करदाता द्वारा पूर्व में गया कर या व्याज नियमित कर निर्धारण के लिये चुकाया गया माना जाता है। यदि नियमित कर-निर्धारण करने पर करदाता को कोई वापसी देय नहीं है अथवा पूर्व में वापस की गयी राशि निर्धारित वापसी की राशि से अधिक है तो ऐसे अन्तर की राशि करदाता द्वारा देय कर की राशि होगी तथा इस राशि को करदाता से नियमानुसार वसूल किया जायेगा।

कर-निर्धारण से पूर्व पूछताछ (Inquiry before Assessment) आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के अनुसार, यदि किसी करदाता ने धारा 139 के अन्तर्गत आय का विवरण दाखिल कर दिया है अथवा उसके सम्बन्ध में आय का विवरण दाखिल करने की आयकर अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत अवधि समाप्त हो चुकी है, तो कर निर्धारण अधिकारी कर निर्धारण करने के लिए उसे एक विनिर्दिष्ट तारीख को निम्नलिखित कार्य करने के लिए नोटिस दे सकता है

(i) यदि ऐसे व्यक्ति ने सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व आय का विवरण नहीं किया है, तो आय का विवरण निर्धारित फार्म में दाखिल करने के लिए; अथवा

(ii) ऐसे लेखे अथवा प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिए जो कर निर्धारण अधिकारी माँगे; अथवा (iii) कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा विशिष्ट बिन्दुओं पर माँगी गई सूचना लिखित में निर्धारण ढंग से सत्यापित करके दाखिल करने के लिए।

वह करदाता से उसकी सम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण भी माँग सकता है, परन्तु ऐसा करने के लिए उसे संयुक्त कमिश्नर की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

परन्तु कर निर्धारण अधिकारी गत वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों से पहले के बहीखाते नहीं माँग सकता है।

कर-निर्धारण अधिकारी को अपने नोटिस में यह स्पष्ट करना होगा कि करदाता को कौन कौन से प्रपत्र अथवा सूचनाएँ प्रस्तुत करनी हैं। आयकर अधिनियम की धारा 142 (2) के अनुसार किसी व्यक्ति की आय अथवा हानि के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी जो आवश्यक समझे पूछताछ कर सकता है।

खातों का अनिवार्य अंकेक्षण अथवा कर अंकेक्षण (Compulsory audit of accounts or tax account) –

आयकर अधिनियम की धारा 142 (2A) के अनुसार यदि कर निर्धारण अधिकारी की सम्मति में करदाता का हिसाब किताब बहुत जटिल है तथा राजस्व का इसमें अहित हो सकता है, तो मुख्य कमिश्नर द्वारा नामांकित चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण कराये। ऐसे चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट को निर्धारित फार्म में सत्यापित तथा हस्ताक्षर करके अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट देनी होगी जिसमें उन बातों का भी उल्लेख करना होगा जो कर निर्धारण अधिकारी ने माँगी हों।

आयकर अधिनियम की धारा 142 (2B) के अनुसार यदि करदाता के बहीखातों का अंकेक्षण हो चुका है, तो भी कर निर्धारण अधिकारी नए सिरे से अंकेक्षण करा सकता है। अतः कम्पनियों की दशा में यदि कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत बहीखातों का अंकेक्षण हो चुका है, तो भी कर-निर्धारण अधिकारी अपनी आवश्यकतानुसार उनका पुनः अंकेक्षण करा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 142 (2C) के अनुसार करदाता को चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित समय के अन्दर देनी होगी। करदाता के प्रार्थना-पत्र देने पर तथा पर्याप्त कारण बनाने पर कर निर्धारण अधिकारी अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की अवधि बढ़ा सकता है, परन्तु किसी भी दशा में यह अवधि करदाता को अंकेक्षण कराने का आदेश प्राप्त होने के बाद 180 दिन से अधिक स्वीकृत नहीं हो सकती है।

आयकर अधिनियम की धारा 142 (2D) के अनुसार अंकेक्षण के खर्च तथा अंकेक्षण को फीस मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर निश्चित करेगा तथा वह करदाता को चुकाने होंगे। यदि करदाता इस सम्बन्ध में चूक करता है, तो यह राशि उससे उसी प्रकार वसूल की जायेगी जैसे कर की बकाया वसूल होती है।

किन्तु यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण कराने का निर्देश दिनांक 1-6-2007 को या इसके बाद दिया जाता है तो ऐसे अंकेक्षण के अथवा इससे सम्बन्धित व्ययों, जिसमें एकाउन्टेण्ट का पारिश्रमिक भी सम्मिलित है, का निर्धारण मुख्य कमिश्नर अथवा कमिश्नर द्वारा किया जायेगा तथा ऐसे निर्धारित व्ययों का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा।

III. सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best judgement assessment) — आयकर अधिनियम की धारा 144 के अनुसार, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण में कर निर्धारण अधिकारी को वास्तव में, सर्वोत्तम निर्णय करना चाहिए अर्थात् उसे करदाता की कुल आय का अनुमान ईमानदारी से उसके गत वर्ष से पूर्व के कर-निर्धारणों को, उसकी तरह के व्यापार करने वाले अन्य करदाताओं की गत वर्ष की कुल आय को, उसके व्यापार की स्थिति को तथा प्रस्तुत अन्य सामग्री को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यदि ऐसे कर निर्धारण की अपील हो जाय तो कर निर्धारण अधिकारी को अपीलेट अधिकारी के सम्मुख अपने द्वारा किए हुए सर्वोत्तम निर्णय का आधार स्पष्ट करना होता है। अतः उसे बिना किसी आधार के अनुचित रूप से अत्यधिक आय का अनुमान नहीं करना चाहिए। ऐसे कर निर्धारण को एकपक्षीय कर निर्धारण भी कहते हैं तथा इसे अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण भी कहा जाता है।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण दो प्रकार का होता है

(a) अनिवार्य, तथा

(b) विवेकीय।

(a) अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Compulsory best judgement assessment) - कर निर्धारण अधिकारी निम्नलिखित में से किसी भी दशा में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कर सकता है

(i) यदि करदाता धारा 139 (1) के अन्तर्गत अपनी आय का स्वैच्छिक अथवा नोटिस की प्राप्ति के बाद भी विवरण दाखिल नहीं करता है; अथवा धारा 139 (4) के अन्तर्गत विलम्बित विवरण अथवा धारा 139 (5) के अन्तर्गत संशोधित विवरण दाखिल नहीं करता है; अथवा

(ii) यदि करदाता 142 (1) के अन्तर्गत दिए गए नोटिस के अनुसार लेखे अथवा अन्य प्रपत्र अथवा माँगी गयी सूचनाएँ नहीं प्रस्तुत कराता है; अथवा धारा 142 (2A) के अन्तर्गत अपने लेखों का अंकेक्षण नहीं करता है; अथवा

(iii) यदि आय का विवरण दाखिल हो गया है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी इसे असत्य अथवा अपूर्ण समझता है और आयकर अधिनियम की धारा 143 (2) के अन्तर्गत करदाता को नोटिस दे देता है कि वह उसके कार्यालय में उपस्थित हो अथवा आय के विवरण के पक्ष में सबूत प्रस्तुत करे, परन्तु करदाता ऐसा नहीं करता है ।

उपर्युक्त परिस्थितियों में किया गया कर निर्धारण अनिवार्य सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कहलाता है। सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के परिणाम (Consequences of best judgement assessment) – सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के निम्नलिखित परिणाम होते हैं—

(i) करदाता पर धारा 271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड लगाया जा सकता है।

(ii) करदाता का धारा 276 CC तथा 276 D के अन्तर्गत अभियोजन किया जा सकता है।

(iii) अधिक कर लगाने के सम्बन्ध में सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने की दशा में करदाता को अपीलेट अधिकारी के समक्ष नये तथ्य प्रस्तुत करने से रोका जा सकता है।

(iv) इस धारा के अन्तर्गत कर की वापसी अस्वीकृत की जा सकती है।

(v) यदि करदाता फर्म है तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध उपाय (Remedy against best judgement assessment) – यदि करदाता की सम्मति में कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसे कर निर्धारण में अनुसूचित रूप से अत्यधिक कर लगा दिया है, तो करदाता को अधिकार है कि वह कमिश्नर (अपील) के यहाँ अपील कर सकता है। करदाता कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है तथा यदि किसी मामले में कानूनी प्रश्न सन्निहित हो, तो उस मामले में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(b) विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण (Discretionary best judgement assessment) – आयकर अधिनियम की धारा 145 (3) के अनुसार, यदि कर निर्धारण अधिकारी करदाता के हिसाब किताब की शुद्धता तथा पूर्णता से सन्तुष्ट न हो; अथवा करदाता ने हिसाब की कोई पद्धति नियमितता से न अपनाई हो तो कर निर्धारण अधिकारी अपने विवेक से धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कर सकता है। ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध उसे अपील करने का अधिकार है।

IV. पुनः कर निर्धारण अथवा वंचित आय का कर निर्धारण (Re-assessment or income escaping assessment) – आयकर अधिनियम की धारा 147 के अनुसार, यदि कर निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कोई कर योग्य आय कर लगने से बच गई अथवा छूट गई है, तो कर निर्धारण अधिकारी धाराएँ 148 से 153 तक के प्रावधानों को ध्यान रखते हुए ऐसी आय का कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण कर सकता है।

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि यदि किसी छूटी हुई आय के सम्बन्ध में एक बार कोई कर निर्धारण पुनः खोल दिया जाता है, तो इस धारा के अन्तर्गत चल रही कार्यवाही के दौरान यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी अन्य छूटी हुई आय का पता चल जाता है, तो ऐसी आय को भी वह कर निर्धारण में शामिल कर सकता है।

यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष का कर निर्धारण धारा 143(3) अथवा धारा 147 के अन्तर्गत जाँच-पड़ताल करने के बाद हुआ है, तो इस धारा के अन्तर्गत सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के अन्त के चार वर्ष बाद कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यदि कर निर्धारण होने से जो आय बच गई है, वह अग्रलिखित में से किसी कारण से है, तो पुनः कर निर्धारण चार वर्ष के बाद भी हो सकता है-

- (i) करदाता द्वारा धारा 139, 142 (i) अथवा 148 के अन्तर्गत आय का विवरण न दाखिल करने पर अथवा
- (ii) कर निर्धारण के सम्बन्ध में समस्त प्रभावी तथ्य पूर्ण रूप से तथा सही-सही न बताने पर।

स्पष्टीकरण : 1. निम्नलिखित दशाओं में भी कर निर्धारण से बची हुई अथवा छूटी हुई आय समझी जाएगी (a) यदि करदाता ने आय का विवरण तो दाखिल कर दिया है; यद्यपि उसकी कुल आय न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक है;

(b) यदि करदाता ने आय का विवरण तो दाखिल कर दिया है, परन्तु उस पर कर निर्धारण नहीं हुआ है तथा यह पाया जाता है कि करदाता ने विवरण में अपनी आय कम दिखायी है अथवा अधिक हानि अथवा कटौती आदि की माँग की है; तथा

(c) यदि कर निर्धारण हो गया है, परन्तु (i) कर योग्य आय कम निर्धारित की गई है; अथवा (ii) बहुत कम दर से कर लगा है; अथवा (iii) कोई हानि, छूट, हास की छूट अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत अन्य कोई छूट अधिक स्वीकार हो गई है।

2. हिसाब की पुस्तकें एवं अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना जिससे कर निर्धारण अधिकारी अपनी तत्परता से आवश्यक तथ्य ज्ञात कर सके, करदाता द्वारा आवश्यक तथ्य बताना नहीं है।

आयकर अधिनियम की धारा 147 के अन्तर्गत कर निर्धारण, पुनः कर निर्धारण अथवा धारा 148 के अनुसार पुनः गणना करने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी करदाता को नोटिस देगा कि वह नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अपनी आय का विवरण उसके समक्ष दाखिल कर दे। इस नोटिस को देने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी को अपनी इस कार्यवाही करने के कारणों को अभिलिखित करना होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 149 के अनुसार सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के लिये नोटिस

निम्नलिखित दशाओं में जारी नहीं किया जायेगा

(i) यदि उस वर्ष की वंचित कर योग्य आय एक लाख रुपये से कम है तो सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के बाद चार वर्ष समाप्त हो चुके हों;

(ii) यदि उस वर्ष की वंचित कर योग्य आय एक लाख रुपये या इससे अधिक है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद चार वर्ष किन्तु छः वर्ष से अधिक नहीं, समाप्त हो चुके हों;

(iii) यदि कर निर्धारण से वंचित कर योग्य आय भारत के बाहर स्थित किसी सम्पत्ति (किसी संस्था में वित्तीय हित सहित) से सम्बन्धित है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष से चार वर्ष किन्तु सोलह वर्ष से अधिक नहीं, समाप्त हो चुके हों;

(iv) यदि करदाता किसी विदेशी का एजेण्ट है तथा कर निर्धारण एजेण्ट की भाँति होता है तो सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के छः वर्ष बाद नोटिस नहीं दिया जायेगा।

Q2 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए

- हानि की विवरणी ।
- त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण विवरणी ।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

Ans a) हानि की विवरणी [धारा 139 (3)]

यदि किसी व्यक्ति को "व्यापार तथा पेशा के लाभ और प्राप्तियाँ" शीर्षक अथवा "पूँजी-लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत कोई हानि हुई है और वह ऐसी हानि को अगले कर निर्धारण वर्षों में समायोजन के लिए आगे ले जाना चाहता है तो वह धारा 139 (1) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर अपनी हानि की विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। वह विवरणी प्रस्तुत करना निर्धारित की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि वह हानि को अगले कर निर्धारण वर्षों में समायोजन के लिए ले जाना चाहता है तो उसे ऐसी विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है और यदि वह ऐसा नहीं चाहता है तो ऐसी विवरणी का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि ऐसी विवरणी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो निर्धारित ऐसी हानि का अगले कर-निर्धारण वर्षों में समायोजन हेतु आगे ले जाने का हकदार नहीं होगा। इसके साथ ही यह उपबन्ध अशोधित मूल्य-ह्रास-छूट (unabsorbed depreciation allowance) के सम्बन्ध में लागू नहीं होते हैं और ऐसी विवरणी प्रस्तुत न किये जाने पर निर्धारित कर अगले वर्षों की आय से अशोधित मूल्य ह्रास छूट को समायोजित करने का अधिकार समाप्त नहीं होता है। अतः ऐसे मामले के हानि की विवरणी का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है जहाँ निर्धारित "व्यापार और पेशे की हानि" अथवा "पूँजी लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत की हानि को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है बल्कि अशोधित मूल्य ह्रास छूट को आगे ले जाना चाहता है। '

b) यदि कर निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि निर्धारित द्वारा दाखिल की गयी विवरणी में कोई त्रुटि है तो वह निर्धारित को त्रुटि की सूचना देगा और इस त्रुटि को सुधारने हेतु निर्धारित को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा। त्रुटि सुधारने के लिए निर्धारित को 15 दिन का समय दिया जायेगा परन्तु यह समय कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यदि उक्त समय के भीतर निर्धारित त्रुटि को सुधारने में असफल रहता है तो उसकी विवरणी अवैध होगी और ऐसा माना जायेगा कि वह विवरणी दाखिल करने में चूक किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यदि उक्त समय के पश्चात् परन्तु कर निर्धारण किये जाने से पूर्व निर्धारित त्रुटि को सुधार देता है तो कर निर्धारण अधिकारी विलम्ब को क्षमा करके विवरणी को वैध विवरण मान सकता है।

धारा 139 (2) के स्पष्टीकरण का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। इस उपधारा के प्रयोजन हेतु आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण समझा जाएगा जब तक कि निम्नलिखित सभी शर्तों की पूर्ति नहीं की जाती है—

(i) आय के प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्रभाष्य आय की संगणना से सकल कुल आय और कुल आय की गणना से सम्बन्धित आय की विवरणी में उपबन्ध, कथन और स्तम्भ सम्यक् रूप से भरे गए हैं;

(ii) विवरणी के साथ ऐसा कथन है जो विवरणी के आधार पर देय कर को दर्शाता हो। (iii) धारा 44 क ख में विनिर्दिष्ट संपरीक्षा की रिपोर्ट भी विवरणी के साथ संलग्न है अथवा ऐसी दशा में जबकि विवरणी देने से पूर्व उक्त रिपोर्ट दे दी गई हो तो रिपोर्ट देने का

सबूत और रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है;

(iv) विवरणी के साथ निम्नलिखित का साक्ष्य भी संलग्न है/ कर जिसे स्रोत पर काटे जाने या संकलित किए जाने का दावा किया गया है और अग्रिम कर तथा स्वतः निर्धारण कर जिसके संदत्त किए जाने का दावा किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि यदि ऐसे कर के काटे जाने का दावा किया गया है परन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तो उसे त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाएगा, यदि—(क) यदि धारा 203 या 206ग के अन्तर्गत काटे गए अथवा संकलित कर का प्रमाण पत्र उस व्यक्ति को नहीं दिया गया है जो आय की विवरणी दाखिल करता है।

(ख) ऐसा प्रमाणपत्र धारा 155 (14) में विनिर्दिष्ट 2 वर्षों की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ख) कम्पलसरी डिपॉजिट स्कीम (इन्कम टैक्स पेयर्स) ऐक्ट, 1974 के अन्तर्गत अनिवार्य निक्षेप की रकम जिसके निक्षेप (जमा) किए जाने का दावा किया गया है।

यदि निर्धारिती द्वारा नियमित लेखा-बाहियाँ रखी जाती है तो ऐसी दशा में निम्नलिखित की प्रतियाँ होनी आवश्यक है—

(क) विनिर्माण लेखा, व्यापार लेखा लाभ-हानि लेखा या आय और व्यय लेखा अथवा इसी प्रकार का कोई अन्य लेखा और तुलनपत्र;

(क) स्वायत्त कारबार अथवा वृत्ति (पेशा) की दशा में स्वामी का व्यक्तिगत लेखा फर्म, व्यक्ति-संगम या व्यक्तियों के निकाय की दशा में भागीदारों अथवा सदस्यों का फर्म व्यक्ति-संगम या व्यक्तियों के निकाय में उसका व्यक्तिगत लेखा।

(vi) यदि निर्धारिती के लेखाओं का संपरीक्षण किया गया है तो विवरणी के साथ संपरीक्षित लाभ-हानि लेखा, तुलनपत्र और संपरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियाँ विवरणी के साथ संलग्न होना चाहिए और यदि कम्पनी अधिनियम की धारा 233-ख के अन्तर्गत निर्धारिती के लागत लेखाओं की संपरीक्षा की गई है तो उस धारा के अधीन रिपोर्ट की प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए।

(vii) यदि निर्धारिती द्वारा नियमित लेखा वहियाँ नहीं रखी जाती हैं तो ऐसी दशा में विवरणी के साथ एक कथन संलग्न होना चाहिए जिसमें टर्नओवर (turnover) की रकमें या सकल प्राप्तियाँ, सकल लाभ, कारबार या पेशे (वृत्ति) के व्यय और शुद्ध लाभ उपदर्शित होने चाहिए और इसके अतिरिक्त वह आधार जिस पर ऐसी रकमों की संगणना की गई है को भी इसमें दर्शाना चाहिए तथा इसमें कुल अन्यान्य देनदारों, अन्यान्य लेनदारों, स्टॉक इन ट्रेड

और गत वर्ष के अन्त में रोकड़ बैलेंस (cash balance) भी दर्शाना चाहिए। विवरणी दाखिल करने की अपेक्षा किन्से की जाती है- निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आय की विवरणी दाखिल करें

(i) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय जिसके सम्बन्ध में वह निर्धारित किये जाने के अधीन है, गत वर्ष में उस अधिकतम रकम से बढ़ जाती है जो कि आयकर के अन्तर्गत प्रभार्य नहीं है, केवल ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जो कि धारा 139 की उपधारा (1-क) के अन्तर्गत आते हैं।

(ii) ऐसा प्रत्येक व्यक्तिगत जिसने वर्ष में "व्यापार या पेशे के लाभ व प्राप्तियाँ" या "पूँजी लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत कोई हानि अर्जित की है और उस हानि के अगले कर निर्धारण वर्षों में समायोजन के लिए ले जाना चाहता है, [धारा 139 (3)]।

(iii) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पूर्णतः या अंशतः धार्मिक या पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित न्यास या अन्य वैध आभार के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति से आय प्राप्त करता है या ऐसा न्यास के लिए स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करता है और इस प्रकार से प्राप्त की गयी कुल आय धाग 11 और 12 के अधीन की कटौतियाँ किये जाने के पूर्व उस अधिकतम रकम से बढ़ जाती है जो कि आयकर के निमित्त प्रभार्य नहीं है। [धारा 139 (4-क)] ।

(iv) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राजनीतिक दल का प्रधान कार्यपालन ऑफिसर है और गत वर्ष में उस दल की कुल आय आयकर न लगने की अधिकतम सीमा से अधिक है।

c) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड गठन - प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड को 'बोर्ड' के नाम से भी पुकारा जाता है। यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है। इसका गठन केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत किया गया है। क्षेत्राधिकार- इस बोर्ड के प्रशासन, पर्यवेक्षण और नियन्त्रण की शक्तियाँ सम्पूर्ण विभाग पर फैली हुई हैं। यह अन्य आयकर-प्राधिकारियों को आदेश निर्देश और निदेशक जारी कर सकता है। इसी

प्रकार इस अधिनियम के निष्पादन के निमित्त नियोजित किसी व्यक्ति को बोर्ड आदेश, निदेश या निर्देशन दे सकता है और बोर्ड द्वारा जारी किये गये अथवा दिये गये ऐसे सभी आदेश, निर्देशन ऐसे अधिकारियों अथवा व्यक्तियों पर बन्धनकारी होंगे। परन्तु बोर्ड द्वारा ऐसे आदेश, निर्देशन नहीं दिया जा सकता जिसके द्वारा किसी आयकर अधिकारी को यह निर्देश दिया जाय कि वह किसी कर निर्धारण को विशेष ढंग से करे या किसी उप आयुक्त (अपील) अथवा आयकर आयुक्त (अपील) के विवेक में हस्तक्षेप हो रहा हो।

शक्तियाँ और कार्य बोर्ड की शक्तियाँ और उसके कार्यों का संक्षेप में उल्लेख

निम्नवत् किया जा सकता है (1) अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश (धारा 119) 2 – बोर्ड अन्य आयकर अधिकारियों को आदेश निर्देश तथा निर्देशन जारी कर सकता है, तथा इसी प्रकार के आदेश, निर्देश या निर्देशन अन्य किसी भी व्यक्ति को दे सकता है जो कि इस अधिनियम के निष्पादन के कार्य में नियोजित हैं और बोर्ड द्वारा दिये गये ऐसे सभी आदेश, निर्देशन और निदेशन उन पर बन्धनकारी होंगे। किन्तु इसके द्वारा ऐसा आदेश, निर्देश या निर्देशन जारी नहीं किया जा सकता है जिसके द्वारा (क) किसी आयकर प्राधिकारी को यह निर्देश दिया जाय कि वह किसी कर निर्धारण को किसी विशेष ढंग से करे, या (ख) किसी आयुक्त (अपील) के अपीलीय कार्यों से सम्बन्धित विवेक में हस्तक्षेप हो रहा हो। बोर्ड आय की किसी भी श्रेणी अथवा मामलों की श्रेणियों के सम्बन्ध में साधारण या विशेष आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो आयकर अधिकारी को कर निर्धारण में तथा शास्ति या दण्ड लगाने में पथ-प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी इस शक्ति का प्रयोग करने में बोर्ड साधारण सरकुलर जारी कर सकता है जिसमें ऐसे आदेश, निर्देश अथवा निर्देशन शामिल किये जा सकते हैं। किन्तु, ऐसे आदेश या निर्देशन इस रूप में जारी नहीं किये जा सकते हैं कि निर्धारिती उस स्थिति में बदतर स्थिति में पहुँचा दिया जाय जिसमें कि संविधि के द्वारा वह पहले से ही रख दिया गया है। इस धारा के अन्तर्गत बोर्ड विधि की कठोरता को कम कर सकता है, अथवा अनुतोष का अनुदान कर सकता है, किन्तु ऐसे आदेश या निदेश जारी नहीं कर सकता है जो कि निर्धारिती के हित के प्रतिकूल हो।¹³ इसके साथ ही बोर्ड आयकर आयुक्त या आयकर अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि किसी छूट, कटौती, वापसी अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत सुलभ होने वाला कोई अनुतोष स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आवेदन-पत्र अथवा माँग पत्र स्वीकार कर ले और उन आवेदन पत्रों अथवा माँग पत्रों की व्यवहति गुणावगुण के आधार पर विधि के अनुसार करे परन्तु वह आयुक्त (अपील) को ऐसा निर्देश नहीं दे सकता है।

(2) किसी ऐसी कम्पनी को कम्पनी के रूप में घोषित करना जिसमें कि जनसाधारण सारवान रूप में हितबद्ध है [धारा 2 (18) (क-ख)]-किसी कम्पनी को ऐसी कम्पनी के रूप में माना जायेगा जिसमें कि जन-साधारण सारवान रूप में हितबद्ध है, यदि बोर्ड यह घोषित कर देता है कि उस कम्पनी में जन-साधारण सारवान रूप में हितबद्ध है।

(3) ऐसी आय को आयकर से मुक्त करने की शक्ति जो न्यास के अन्तर्गत धारित सम्पत्ति प्राप्त हुई है [धारा 11 (1) (ग)]-ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त की गयी आय जो कि ऐसे न्यास के अन्तर्गत धारित हो, (क) जिसको 1 अप्रैल, 1952 को या उसके बाद एक ऐसे पुण्यार्थ प्रयोजन के लिए रजत किया गया है जो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें भारत की रुचि है, और (ख) जिसको पुण्यार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1952 से पूर्व सृजित किया गया है, प्राप्तकर्ता की कुल आय में आयकर के निमित्त उस विस्तार तक शामिल न की जायेगी जहाँ तक कि ऐसी आय का प्रयोग उक्त प्रयोजनों के निमित्त भारत से बाहर किया जा रहा है, बशर्ते कि बोर्ड ने यह निर्देशित किया हो कि ऐसी आय को प्राप्तकर्ता की कुल आय में शामिल न किया जाये।

(4) किसी क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र के रूप में घोषित करना [धारा 33-क (8)]-बोर्ड धरातल की ऊँचाई आदि को दृष्टि में रखते हुए विकास सम्बन्धी छूट के प्रयोजनों के लिए किसी क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है और इस प्रकार को घोषणा करने वाले आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष आपत्ति नहीं प्रस्तुत की जा सकती है।

(5) आयकर प्राधिकारियों को क्षेत्राधिकार (धारा 120)- धारा 120 के अनुसार बोर्ड को आयकर प्राधिकारियों को शक्ति और कार्य देने की शक्ति प्राप्त है। आयकर प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों को सम्पन्न करेंगे जो बोर्ड द्वारा उन्हें दी जायेगी। बोर्ड किसी अन्य आयकर प्राधिकारी अपने सहायक प्राधिकारियों को शक्ति और कार्यों के सम्पादन हेतु निर्देश देने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा निदेशक को किसी भी आयकर प्राधिकारी के कार्यों को सम्पादित करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड प्रमुख निदेशक अथवा मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त को वह शक्ति प्रदान कर सकता है कि अतिरिक्त आयुक्त अथवा अतिरिक्त निदेशक अथवा उप आयुक्त अथवा उपनिदेशक को कर निर्धारण अधिकारी को प्रदान की गयी शक्तियों और कार्यों को करने का लिखित आदेश दे सके।

(6) कर निर्धारण अधिकारियों के मध्य क्षेत्राधिकारी सम्बन्धी विवादों का निपटारा करने सम्बन्धी शक्ति (धारा 124)- यदि इस विषय पर विवाद उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में किस कर निर्धारण अधिकारी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है तो यह विवाद प्रमुख निदेशक अथवा आयुक्त द्वारा निपटाया जायेगा और यदि विवाद ऐसे क्षेत्र से है जो दो या दो से अधिक प्रमुख निदेशकों या मुख्य आयुक्तों या आयुक्तों के क्षेत्राधिकार में आते हैं तो उनके आपसी सहमति से विवाद का निपटारा होगा और उनकी आपसी सहमति न होने की दशा में विवाद का निपटारा बोर्ड करेगा।

(7) किसी मामले को हस्तान्तरित करने की शक्ति (धारा 127)-बोर्ड किसी मामले को भारत के एक किसी कर निर्धारण के यहाँ से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख निदेशक या मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी मामले को एक कर निर्धारण अधिकारी के यहाँ से दूसरे कर निर्धारण अधिकारी के पास केवल उस प्रकरण में हस्तान्तरित कर सकता है जब दोनों कर निर्धारण अधिकारी उसके अधीनस्थ हों, किन्तु बोर्ड की शक्ति पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(8) तलाशी तथा अभिग्रहण से सम्बन्धित शक्ति (धारा 132)-बोर्ड उपनिदेशक या उपआयुक्त को तलाशी और अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। बोर्ड की ओर से इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने के बाद उपनिदेशक या उपआयुक्त किसी सहायक निदेशक, सहायक आयुक्त या आयकर अधिकारी को तलाशी और अभिग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है। तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करने में जो लेखा-पुस्तिकाएँ या अन्य प्रलेख पकड़े जाते हैं, उन्हें 180 दिन से अधिक वह अधिकारी उस समय तक अपने पास रोक सकता है जब तक कि इस प्रकार से रोकने के कारणों का उल्लेख उसके द्वारा प्रलेख में लिखित रूप में अंकित न किया गया हो और जब तक कि उन प्रलेखों को उस समय के अधिक की अवधि तक रोकने के सम्बन्ध में मुख्य आयुक्त या आयुक्त का अनुमोदन न प्राप्त हो गया हो। मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त के अनुमोदन के विरुद्ध आपत्ति बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। इस धारा के अधीन बोर्ड तलाशी और अभिग्रहण के सम्बन्ध में नियम भी बना सकता है।

(9) विदेशी देशों के साथ किये गये करारों के अनुसरण में कर की वसूली से सम्बन्धित शक्ति और कृत्य (धारा 228-क) -यदि केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी सरकार के बीच भारतीय कर की वसूली ऐसे देश में और ऐसे देश की कर वसूली भारत में करने हेतु समझौता किया गया है तो ऐसी दशा में यदि उस विदेशी सरकार के विहित पदाधिकारी द्वारा भारतीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को वसूली का प्रमाण-पत्र भेजा

जाता है तो बोर्ड या प्रमाण-पत्र उस कर वसूली अधिकारी को भेज देगा जिसके अधिकार क्षेत्र में उस व्यक्ति की सम्पत्ति स्थित है जिससे वह विदेशी सरकार कर वसूल करना चाहती है। का वसूली अधिकारी ऐसे कर की वसूली उसमें से वसूली में व्यय की गयी रकम काटकर शेष बोर्ड को भेजता है, जो उस विदेशी सरकार के विहित पदाधिकारी तक पहुँचता है।

(10) नियम बनाने की शक्ति (धारा 295) – बोर्ड सम्पूर्ण भारत के लिए या भारत के किसी भाग के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों का परिपालन करने के निमित्त नियम बना सकता है। नियम बनाने वे सम्बन्ध में बोर्ड की शक्ति केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण के अधीन है। बोर्ड द्वारा बनाये गये नियम जो संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाता है। आयकर नियम, 1962 इसी शक्ति के प्रयोग में बोर्ड द्वारा बनाया गया है।

(11) शास्ति घटाने या माफ करने की अनुमति देना [धारा 273-क (2)] – यदि धारा 271 (ग) के अन्तर्गत आय छिपाने के लिये शास्ति आरोपित की गयी है या आरोपित करने योग्य है और जिस आय के सम्बन्ध में शास्ति सुसंगत कर निर्धारण वर्ष में आरोपित की गई है या आरोपित करने योग्य है वह 5 लाख रु० से अधिक है तो आयुक्त बिना मुख्य आयुक्त या प्रमुख निदेशक की अनुमति के शास्ति घटाने या पूर्णतः माफ करने का आदेश नहीं दे सकता है।

(12) वरिष्ठता का निर्धारण (धारा 118) – बोर्ड आफिशियल गजट में अधिसूचना द्वारा यह निदेशक दे सकता है कि अधिसूचना में उल्लिखित आयकर प्राधिकारी उस आयकर प्राधिकारी के मातहत होगा जो कि अधिसूचना विनिर्दिष्ट है। अतः बोर्ड आयकर प्राधिकारियों के मध्य वरिष्ठता का निर्धारण करता है।